भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2095**

(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**नई पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बनाए रखना**

2095. श्री संजय सेठ:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई पेंशन योजना पर निर्णय लेने से पहले हितार्थियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि एनपीएस शेयर पर आधारित है जिससे मासिक पेंशन बाजार की स्थितियों के कारण अत्यधिक अनिश्चित रहती है; और

(घ) निवेश के असफल होने पर लाभार्थियों को सतत न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)

**(क) और (ख):** सरकार ने बढ़ते एवं गैर-संपोषणीय पेंशन बिल के कारण परिभाषित लाभ पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में जाने का सुविचारित निर्णय लिया था। भारत सरकार ने दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (पूर्व में नई पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी) को आरंभ किया है तथा इसे दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात केन्द्रीय सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में आने वाले सभी नए रिक्रूटों (कर्मचारियों) के लिए अनिवार्य बनाया है।

**(ग):** एनपीएस मार्केट से जुड़ा सेवानिवृत्ति उत्पाद है। एनपीएस के अंतर्गत निवेश इस संबंध में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट कर्ज लिखतों एवं इक्विटी सहित विभिन्न आस्ति श्रेणियों में किया जाता है, इनमें से केवल इक्विटी में अधिकतम 15% तक का निवेश किया जा सकता है।

**(घ):** हाल ही में सरकार ने एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने तथा संपोषणीय न्यूनतम पेंशन डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। ये उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए उसके कर्मचारियों के टियर-I खातों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य अंशदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। कर्मचारियों की अंशदान दर मौजूदा 10% बनी रहेगी।

(ii) केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि तथा निवेश के तरीके का चयन करने के विकल्प की स्वतंत्रता प्रदान करना।

(iii) निकासी पर एकमुश्त आहरण के लिए टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 60% किया गया है। इसके साथ अब सम्पूर्ण आहरण को आयकर से छूट प्राप्त होगी।

\*\*\*\*\*